



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 988/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 988/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-जब्बार पुत्र याकूब निवासी मौ0 केतीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 644/22 धारा 269/270/429 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 988/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

3-का0 931 आलोक थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनाँक 01.11.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 272/2022 धारा 304/504 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.10.2022 को थाना दोघट पर वादी श्री महताब पुत्र अली मोहम्मद निवासी पट्टी रतराणा कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त राजन पुत्र देवेन्द्र निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा उसकी चाची के साथ गाली-गलौज करते हुए उसकी चाची के ऊपर ट्रेक्टर चढ़ा दिया । जिससे उसकी चाची की मौके पर ही मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 272/2022 धारा 302/504 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 302 भादवि का विलोपन किया गया तथा धारा 304 भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 272/2022 धारा 304/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त घटना से सम्बन्धित ट्रैक्टर को थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राजन पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र०नि० श्री किरनपाल सिंह ।

2- उ०नि० श्री अतेन्द्र सिंह ।

3-का० 1044 शायद अली ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 01.11.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुये हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-संदीप उर्फ काले पुत्र चन्द किरन निवासी पट्टी रामपुर शाह गार्डन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-गुलजार पुत्र लतीफ निवासी मौ0 धोबियान पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ ।
- 2- उ0नि0 श्री विकुल कुमार ।
- 3- का0 774 धर्मेन्द्र सिंह ।
- 4- का0 447 पंकज कुमार ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 01.11.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्रो बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्रो नं0 UP-14CJ-4207 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आर्यन पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- एक मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्रो नं0 UP-14CJ-4207

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नन्हे सिंह ।
2. है0का0 377 सुरेन्द्रपाल सिंह ।
3. का0 1008 मिथुन कुमार ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 01.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



में
रहे
द्वारा

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-विनोद पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-रामकुमार पुत्र हरलाल गुर्जर निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-ओमवीर पुत्र हरलाल निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर ।

- 2-का0 442 प्रमोद कुमार थाना सिंघावली अहीर ।
3-का0 783 हिमान्शु चौधरी थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक:- 01.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- सईद पुत्र हाजी महरबान नि0 मौ0 कुरैशियान करबा व थाना बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार ।

2-का0 584 कपिल ।

3-का0 192 अनिल नागर ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 01.11.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 257/2022 धारा 420/467/468/406/
504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.06.2022 को थाना खेकडा पर वादी संदीप पुत्र बालकिशन निवासी गांव बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.नितिन पुत्र अशोक 2.अशोक पुत्र स्व0 सीताराम शर्मा निवासीगण ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा उससे 8 लाख 20



हजार रूपये लेकर उसे तयशुदा मकान नहीं दिलवाया व उसके द्वारा अपने रूपये वापस मांगने पर अभियुक्तों नितिन व अशोक द्वारा उसको गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की

धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 257/2022 धारा 420/467/468/406/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 257/2022 धारा 420/467/468/406/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों नितिन व अशोक को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-नितिन पुत्र अशोक निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-अशोक पुत्र स्व0 सीताराम निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह ।

2-का0 771 प्रदीप कुमार ।

3-का0 349 जितेन्द्र कुमार ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 01.11.2022

**थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 266/22 धारा 308/323/504 भादवि में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17-09-2022 को थाना रमाला पर वादिया ने सूचना दी कि दिनांक 15-09-2022 को वादिया के पति कंवरपाल पुत्र महीपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुये मारपीट की तथा सिर मे कैंची से वार किया जिससे वह बेहोश हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 266/22 धारा 308/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 266/22 धारा 308/323/504 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता-

1- कंवरपाल पुत्र महीपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना रमाला ।
- 2- का0 504 अशोक कुमार थाना रमाला ।
- 3- का0 621 प्रदीप कुमार थाना रमाला ।